न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/37/2025

दायर दिनांक 17.04.2025

उनवान

1. मुकेश खटीक पिता गोवर्धन लाल खटीक आयु वयस्क निवासी पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादी

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 23.12.2025

–:निर्णय:–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 सपठित धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा पाण्डोली स्टेशन पटवार हल्का पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में हाल आराजी नम्बर 1436, 1441, 1442, 1445, 1449, 1450, 1452 कुल किता 07 कुल रकबा 0.87 हैक्ट0 तथा हाल आराजी नम्बर 1443 रकबा 0.14 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 1444, 993, 997, 998, 999 कुल किता 05 कुल रकबा 1.75 हैक्ट0 स्थित है।

यह कि पहले उक्त आराजीयात का खातेदार गोवर्धन लाल पिता रायचंद्र उर्फ रामचन्द्र के 1/5 हिस्सा से खातेदारी में दर्ज थी तथा उक्त गोवर्धन लाल के मृत्यु के पश्चात जरिए इंतकाल संख्या 1186 दिनांक 25.04.2016 को विरासत से गोवर्धन लाल के वारिसान के नाम पर दर्ज हुई थी।

यह कि जब गोवर्धन लाल पिता रामचन्द्र का विरासत का नामान्तरण संख्या 1186 खोला गया उस समय पटवारी हल्का ने वादी का सही नाम मुकेश पिता गोवर्धन लाल न लगाकर वादी का नाम मुकेश के बजाय कालू अंकित कर दिया गया जबकि वादी के पिताजी गोवर्धन लाल के कालूराम नाम का कोई जायन्दा लडका नहीं है फिर भी बिना सही जांच किए वादी का नाम भूलवश मुकेश के बजाय कालू अंकित कर दिया गया जिस कारण से रेवेन्यु रेकार्ड में आज दिन तक वादी का नाम कालू अंकित चला आ रहा है जबकि वादी का सही नाम मुकेश है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र वर्णित आराजीयात में खातेदार कालू पिता गोवर्धन लाल का जो नाम अंकित है उसके बजाय वादी का नाम मुकेश पिता गोवर्धन लाल अंकित किए जाने की डिक्री बक्षाई जावें तथा रेवेन्यु रेकार्ड दुरुस्त किए जाने की डिक्री बक्षाई जावें अन्य कोई दाद जो मुफिदवादी हो दिलाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में वादी मुकेश का शपथ पत्र प्रस्तुत। शपथग्रहिता वादी ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श– 07 है। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व शपथ पत्र के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा पाण्डोली स्टेशन पटवार हल्का पाण्डोली स्टेशन तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में हाल आराजी नम्बर 1436, 1441, 1442, 1445, 1449, 1450, 1452 कुल किता 07 कुल रकबा 0.87 हैक्ट0 तथा हाल आराजी नम्बर 1443 रकबा 0.14 हैक्ट0 तथा आराजी संख्या 1444, 993, 997, 998, 999 कुल किता 05 कुल रकबा 1.75 हैक्ट0 स्थित है, में दर्ज कालु पुत्र गोवर्धनलाल जाति खटीक के बजाय मुकेश उर्फ कालु पिता गोवर्धनलाल जाति खटीक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़